UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:–583–औस / 2015–11(1)ए0एस0 / 09(14)   दिनांक: 21 फरवरी, 2015

विषय:– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध मे।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2218–औस / 2014–11(1)ए0एस0 / 09(14) दिनांक 05 जुलाई, 2014 एवं संख्या–2334–औ0स0 / 2014–11(1)ए0एस0 / 09(14) दिनांक 10.07.2014 के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों / चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों / शर्तो एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरो के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17 / पाकालि / 02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश सं0–3593–औस–17 / पाकालि / 2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानो / मानको एवम अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सालयों / चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्व निरन्तरता के साथ **दिनांक 01.07.2014 से 30.06.2016** तक एतदद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढायी जाती है :–

कम सं0	चिकित्सालय का नाम एवम् जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	प्रकाश हास्पिटल प्रा0लि0, डी–12, 12ए0 एण्ड 12बी, सेक्टर–33 नोएडा।	30.06.2016
2	टी0सी0आई सेन्टर, बी–5 / 36, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.06.2016
3	शालीमार हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, ए–989, इन्द्रानगर लखनऊ।	30.06.2016

1. उक्त सूची के समस्त चिकित्सालयों / चिकित्सा संस्थानों को जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी सूची के समस्त अथवा किसी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों / शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों / मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में उस सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बतायें, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

MEDICAL/2015   SPO

संख्याः–583–(1) औस/2015–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायें।
8. समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त अपर सचिव/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवम् लेखा),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रबन्धकगण–सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
13. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. कट फाइल ।

Nat Mathur 2-3-2-15

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी